

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, भदोही-ज्ञानपुर।

दिनांक- 09.05.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्त को अभियोग में अन्तर्गत MV Act के तहत अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे 10 दिन का साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। अर्थदण्ड अदा करने के पश्चात् पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ़्तर की जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय
भदोही-ज्ञानपुर